न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

आंगनबाड़ी अपील वाद सं0–05/2016–17

संगीता कुमारी बनाम **राज्य एवं अजन्ता ~~कुमारी~~ देवी**

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
10.09.2018	**आदेश** प्रस्तुत अपीलवाद संगीता कुमारी पति श्री अजय कुमार दास ग्राम महबलीपुर डीह थाना पालीगंज जिला पटना के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के अपील वाद संख्या–51/2015 में दिनांक–04.10.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध मार्गदर्शिका–2011 कंडिका–10 की उप कंडिका–10.2,10.3,10.4 एवं 10.7 के प्रावधानों तहत दिनांक–25.11.2016 को आंगनवाड़ी अपील आवेदन दाखिल किया गया है। अपील आवेदन को पंजीकरण के बिंदु पर सुनवाई हेतु समाहर्ता न्यायालय में दिनांक–23.12.2016 को रखा गया। अभिलेख अवलोकन किया गया। दिनांक–10.02.2018 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को पंजीकरण के बिन्दु पर सुनकर वाद प्रतिग्रहित करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना से निम्न न्यायालय अभिलेख की मांग की गयी। विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पालीगंज को संबंधित अभिलेख के साथ निर्धारित तिथि 20.03.2018 को उपस्थित रहने का आदेश दिया गया। दिनांक–20.03.2018 को "लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट" के साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No. 3263/17 में दिनांक–19.02.2018 को पारित आदेश की छाया प्रति दाखिल किया गया। दिनांक–10.09.2018 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्ता का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्र महबलीपुर कोड संख्या–8 परियोजना–पालीगंज, जिला पटना में सेविका पद हेतु "दैनिक जागरण" अखबार के संस्करण 3 मार्च, 2012 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसमें कुल–13 आवेदन पत्र सेविका पद हेतु प्राप्त हुआ। मतदाता	

सूची में नाम नहीं रहने के कारण 9 आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया। शेष 4 (चार) अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की गयी जिसमें वर्ग बाहुल्यता अनुसूचित जाति के आधार पर तीन अभ्यर्थी की मेधा सूची तैयार की गयी। अंतिम 3 अभ्यर्थियों के मेधा क्रम एक पर अभ्यर्थी संगीता कुमारी का कुल प्राप्तांक 48.4 प्रतिशत एवं इंटर का बोनस 7 प्रतिशत अंक मिलाकर कुल–55.4 प्रतिशत होता है। विपक्षी संख्या–03 मेघा क्रमांक–02 पर अंकित है तथा रूबी राज ज्योति पति रवि शंकर का नाम तृतीय स्थान पर अंकित है। साथ ही अपीलार्थी को वर्ग बाहुल्यता के आधार पर चयन समिति द्वारा चयन किया गया तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा अपीलार्थी को चयन पत्र निर्गत किया गया, जिसका ज्ञापांक संख्या–537 दिनांक–16.08.2013 है। चयन समिति द्वारा चयन के उपरांत अपीलार्थी को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया जिसमें निष्ठा एवं इमानदारी पूर्वक प्रशिक्षण संपन्न किया। सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। केंद्र का संचालन सुचारु रुप से किया गया तथा केंद्र संचालन संबंधी कोई भी शिकायत अपीलार्थी के विरुद्ध नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदन समर्पित करते समय उनके द्वारा भूलवश अपना जन्म तिथि–21.03.1992 अंकित कर दिया जबकि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उनका जन्म तिथि 21.03.1993 दर्शाया गया है। अज्ञानता वश उस समय आपत्ति पत्र दायर करने के उपरांत प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं किया गया जिसे प्रमाणित हो सके अपीलार्थी ने सुधार हेतु कोई आवेदन किया था या नहीं? इस प्रकार की गलती जानबूझकर नहीं किया गया जबकि भूलवश 1993 के स्थान पर 1992 दर्ज हो गई। जबकि तिथि एवं महीना सही है। विपक्षी संख्या–02 (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पालीगंज) ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि विपक्षी संख्या–3 का अंक पत्र देखने से स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त विषय जोड़कर विपक्षी संख्या–03 अजंता देवी को 330/700 यानी 47.14 प्रतिशत अंक एवं 5 बोनस अंक जोड़कर कुल 52.14 प्रतिशत होता है जबकि अपीलार्थी का कुल 55.41 प्रतिशत है। इससे प्रमाणित होता है कि विपक्षी संख्या 03 का मेघा सूची में प्राप्तांक का प्रतिशत अपीलार्थी से कम है। इस प्रकार अपीलार्थी 55.4 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान पर

हैं। मेधा सूची के प्रकाशन ज्ञापांक संख्या 233 दिनांक–27.08.2012 के द्वारा अपीलार्थी को जन्म तिथि में त्रुटि की जानकारी हुई। तत्पश्चात अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–31.08.2012 को आपत्ति दायर की गयी जिसका निराकरण कार्यालय द्वारा ससमय नहीं किया गया।

अपीलार्थी के दावा के अनुसार विपक्षी संख्या–1 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पटना ने सेविका चयन रदद का आधार 01.01.2011 को 18 वर्ष न्यूनतम एवं अधिकतम 40 वर्ष बताया है। जबकि उम्र की गणना विज्ञापन के वर्ष से होता है। दैनिक जागरण में दिनांक 03.03.2012 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार अपीलार्थी की उम्र की गणना 01.01.2012 से लागू होता है जिसके अनुसार अपीलार्थी की मूल जन्म तिथि 21.03.1993 के अनुसार 01.01.2012 को अपीलार्थी की उम्र 18 वर्ष 9 महीना 11 दिन होता है। आम सभा दिनांक 12.08.2013 का आयोजन पूर्ण प्रचार–प्रसार के बाद वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में संपन्न हुआ तथा मार्गदर्शिका, 2011 के आलोक में अपीलार्थी का चयन, चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से हुआ तथा आम सभा में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। विपक्षी संख्या–3 अजंता देवी के परिवाद पत्र दिनांक–13.10.2014 में अपीलार्थी पर मात्र तीन आरोप लगाए गए हैं। प्रथम आरोप के संबंध में कहना है कि भूलवश जन्म तिथि 1993 के स्थान पर 1992 अंकित हो गया तथा विज्ञापन वर्ष 2012 के अनुसार जनवरी 2012 को अपीलार्थी की उम्र लगभग 19 वर्ष थी इसलिए प्रथम आरोप झूठा एवं निराधार है। दूसरे आरोप के संबंध में कहना है कि विपक्षी संख्या–3 अजंता देवी द्वारा प्रस्तुत अंक पत्र में 53.14 प्रतिशत दर्शाया गया है जिसमें वैकल्पिक विषय सैद्धांतिक में प्राप्त अतिरिक्त 42 अंकों को जोड़ा गया है जबकि वैकल्पिक विषय सैद्धांतिक में प्राप्त 42 अंको को घटाने के बाद कुल प्राप्तांक 372 होगा तथा गणना हेतु अतिरिक्त विषय के अंक छोड़कर कुल अंक 330/700 होगा जिसका प्रतिशत 47.14 प्रतिशत होता है तथा 5 अंक बोनस मिलकर कुल प्राप्तांक 52.40 प्रतिशत होगा जो अपीलार्थी से कम है। जांच पदाधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में लिखा गया है कि विपक्षी संख्या–3 अजंता देवी का चयन होना चाहिए जो सरासर गलत एवं निराधार है जिसका विस्तृत विवरण पूर्व कंडिका में दिखाया गया

है। चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 8.14 में स्पष्ट उल्लेख है कि आम सभा की बैठक में वर्ग बाहुल्य 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा उपरोक्त पैनल के सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।

प्रतिवादी संख्या–3 अजंता देवी पति पूरण दास ग्राम महाबलीपुर थाना पालीगंज पटना द्वारा अपने प्रत्युत्तर में बताया गया है कि अपीलार्थी के द्वारा मेधा क्रम के बारे में जो कहा गया है वह गलत है। मेधा सूची तैयार करने में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पालीगंज के द्वारा पूरी तरह अनियमितता बरती गई है। अजंता देवी के मैट्रिक के अंक को सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है क्योंकि अजंता देवी, बिहार संस्कृत बोर्ड शिक्षा बोर्ड, पटना से मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा वर्ष 2006 में उत्तीर्ण की हैं जिसमें कुल अंक कॉलम में 372/700 अंकित है, जिसका प्रतिशत में 53.14 प्रतिशत होता है। अजंता देवी उसी केंद्र पर सहायिका के पद पर काम कर रही थी। आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका के चयन मार्गदर्शिका, 2011 के कंडिका–5 के उक्त कंडिका 5.3 के खंड–ग में स्पष्ट है कि जो सहायिका/सेविका पद के लिए आवेदन करें उसका मेधा सूची मैट्रिक के आधार मान कर 5 अंक बोनस के रूप में जोड़कर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। इस तरह अजंता देवी का मैट्रिक के अंक 53.14 प्रतिशत एवं 5 मिलकर 58.14 प्रतिशत होता है, जबकि अपीलार्थी संगीता कुमारी जिसका मैट्रिक का प्रतिशत 48.4 प्रतिशत है एवं इंटर पास के आलोक में 7 अंक बोनस जोड़कर 55.4 प्रतिशत होता है। अतः विपक्षी संख्या 3 अजंता देवी को मेधा सूची के प्रथम स्थान पर होना चाहिए एवं अपीलार्थी संगीता कुमारी को मेधा सूची के क्रम 2 पर होना चाहिए था। अपीलार्थी का चयन गलत मेधा सूची के आधार पर किया गया है इसलिए इनका चयन रद्द करने का अनुरोध किया है।

अपीलार्थी संगीता कुमारी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जन्मतिथि के कॉलम में जन्मतिथि 21.03.1992 अंकित किया गया, जबकि प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र में जन्म तिथि 21.03.1993 है, इससे स्पष्ट होता है कि चयन समिति के द्वारा सही ढंग से आम सभा में प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र को जांच नहीं किया गया जो मार्गदर्शिका, 2011 का घोर उल्लंघन है। अपीलार्थी संगीता कुमारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पालीगंज के प्रतिवेदन में अजंता देवी के अंकपत्र के आधार पर अतिरिक्त

विषय को छोड़कर कुल प्राप्तांक 330/700 यानि 47.14 प्रतिशत एवं 5 अंक बोनस के साथ 52.14 प्रतिशत होता है जो तथ्यहीन है। निम्न न्यायालय का आदेश उचित एवं सहीं है, अतएव अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

अभिलेख परिशीलन एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता गण को सुनने के उपरांत यह न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, 2011 की कंडिका 5(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार माना जाएगा। परंतु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषय में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। मेघा सूची में अपीलार्थी संगीता कुमारी को दिए गए प्राप्तांक (48.4+7) = 55.4 तथा विपक्षी अंजता देवी को दिए गए प्राप्तांक (47.14+5) = 52.14 की गणना सही है जिसके आधार पर अपीलार्थी मेघा सूची में प्रथम स्थान पर आती है। जहां तक अपीलार्थी के उम्र तथा जन्म तिथि का प्रश्न है तो उस संबंध में विज्ञापन वर्ष 2012 में प्रकाशित विज्ञापन में उम्र की गणना की तिथि 01.01.2012 अंकित है जिसके आधार पर आवेदिका की उम्र 21.03.1993 की जन्म तिथि के अनुसार 18 वर्ष के ऊपर है। इस प्रकार अपीलार्थी संगीता कुमारी मेघा सूची में क्रमांक एक पर भी है तथा उम्र की भी योग्यता धारित करती हैं। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश दिनांक–04.10.2016 के आदेश में मात्र शंका के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। उनके द्वारा न तो विज्ञापन की विवेचना की गयी है और न तो विज्ञापन प्रकाशन को देखा गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पालीगंज को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा समर्पित मूल शैक्षणिक, उम्र एवं जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता से संतुष्ट होकर उपरोक्त विवेचना के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करेगें। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना के आदेश त्रुटि पूर्ण है। इसके साथ अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

10/9/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

10/9/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।